

प्रेषक,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण, उ०प्र०,
620-इन्दिरा भवन, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक: 166 / अ०सं०क०नि०-903-भ०स०छ०व० / 2015

दिनांक 06 अगस्त, 2015

विषय: भारत सरकार द्वारा संचालित पोस्ट-मैट्रिक एवं मेरिट-कम-मीन्स छात्रवृत्ति योजना में गत वर्ष 2014-15 में बैंक विवरण सही कराये जाने के सम्बन्ध में।


महोदय,

कृपया अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या 7-9/2015-एस०एस० दिनांक 03.08.2015 द्वारा निम्नानुसार निर्देश दिये गये हैं-

1. I am directed to say that some of Post-Matric & Merit Cum Means based scholarship scheme were rejected during 2014-15 due to feeding of incorrect bank details. These cases were rejected at the time of bank validation.
2. Keeping in view, the genuine hardship to minority communities students, it has been decided to allow such students to edit their account details. This option will be given once only. It will not be applicable for rejected case (if any) during 2015-16.
3. This provision will be given on National Scholarship Portal (NSP) from 03rd August to 30th September, 2015. Once the correction will be done by the students, their cases will be reprocessed. With this, they would be able to apply for Scholarship during 2015-16 as Renewal case.
4. The state Government/UT Administrations are requested to take necessary steps to inform the concerned students for carrying out the corrections during the stipulated time. The time limit will not be extended under any circumstances.


उपरोक्त के क्रम में आप को निर्देशित किया जाता है कि योजनान्तर्गत जनपद स्तर पर उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से उक्त का व्यापक प्रचार प्रसार कराना सुनिश्चित करें ताकि छात्र/छात्रा अपना आवेदन पत्र सही कर सकें तथा कृत कार्यवाही से निदेशालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(फैजूरहमान)
निदेशक

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि सचिव अल्पसंख्यक कल्याण, एवं वक्फ अनुभाग-3 उ०प्र० शासन को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या 7-9/2015-एस०एस० दिनांक 03.08.2015 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


(फैजूरहमान)
निदेशक